संख्या-711/18-2-2013-71क/99

प्रेषक,

आलोक रंजन
मुख्य सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. आयुक्त एवं निदेशक,
उद्योग उ0प्र0, कानपुर।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उ0प्र0।
3. प्रबन्ध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी, समस्त शासकीय नियंत्रणाधीन निगम/उपक्रम/परिषद/प्राधिकरण/स्वायत्तशासी संस्थायें, उ0प्र0।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 लखनऊः दिनांकः 21 मई, 2013

विषयः लघु उद्योग इकाईयों से सामग्री क्रय हेतु भारत सरकार लघु उद्योग मंत्रालय द्वारा आरक्षित किये गये 358 आइटम्स को क्रय में लघु उद्योग के लिए आरक्षित किये गये जाने एवं प्रदेश सरकार के क्रय संबंधी आदेशों का अनुपालन किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक लघु उद्योग अनुभाग-5 के शासनादेश संख्या-499/18-5-2004 -71क/99,दिनॉक-26 मार्च 2004 (छायाप्रति संलग्न) का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रदेश की लघु उद्योग इकाईयों के प्रोत्साहन हेतु पूर्व में भारत सरकार/राज्य सरकार के द्वारा निर्गत कातिपय शासनादेशों/आदेशों/निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश दिये गये है।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लघु उद्योग अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-950/18-5-09-9(एसपी)/95, दिनॉक 25-8-2009 द्वारा प्रदेश की औद्योगिक इकाईयों को प्रदत्त मूल्य वरीयता/क्रय वरीयता की नीति, जो दिनॉक 31मार्च, 2012 तक विस्तारित की गई थी, वर्तमान में समाप्त हो चुकी है और इसे कतिपय संशोधन सहित निर्गत किये जाने पर विचार किया जा रहा है। इसी प्रकार लघु उद्योग अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-352/18-2-2011-4(एसपी)/2010, दिनॉक 31 मार्च, 2011 द्वारा उद्योग निदेशालय स्तर पर केन्द्रीयकृत दर अनुबन्ध तथा कतिपय विभागों के अनुरोध पर किये जा रहे मात्रा अनुबन्ध को समाप्त करते हुए समस्त प्रकार के उत्पादों के दर अनुबन्ध/मात्रा अनुबन्ध के अधिकार समस्त विभागों को कतिपय शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदत्त किये जा चुके हैं।

3. इसी प्रकार उ0प्र0 लघु उद्योग अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-686/ 18-2-2011-71क/99, दिनॉक 30 अप्रैल, 2011 द्वारा उपरोक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनॉक-26 मार्च, 2004 के प्रस्तर-5 में उ0प्र0 लघु उद्योग निगम के पक्ष में प्रदत्त क्रय वरीयता से संबंधित अंश समाप्त करते हुए संशोधन निर्गत किया गया है।

4. उक्त के अतिरिक्त शासनादेश दिनॉक 26 मार्च, 2004 के शेष अंश वर्तमान में यथावत् प्रभावी है, जो निम्नवत हैः-

.....2/-

(1) कार्यालय विकास आयुक्त (लघु उद्योग मंत्रालय) भारत सरकार के अर्द्ध शा0पत्रॉक-22(1)/2003/ईपी एण्ड एम, दिनॉक 29 जुलाई,2003 का अवलोकन करने का कष्ट करें (प्रतिलिपि संलग्न) जिसके द्वारा संलग्न सूची में 358 आइटम्स को क्रय में लघु उद्योग के लिए आरक्षित किया गया है। प्रदेश के औद्योगिक एवं आर्थिक विकास में लघु एवं कुटीर औद्योगिक इकाइयों के योगदान एवं महत्व को देखते हुए तथा प्रदेश में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में इनकी सहभागिता को दृष्टिगत रखते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संलग्न सूची में उल्लिखित आयटम्स का क्रय अनिवार्य रूप से लघु औद्योगिक इकाइयों से किया जाय।

(2) कतिपय विभाग विभिन्न उत्पादों की आपूर्ति हेतु विभागीय स्तर पर किये जा रहे मात्रा अनुबन्ध में आमंत्रित निविदाओं में इस प्रकार की तकनीकी शर्तें, यथा उत्पादन क्षमता व टर्न ओवर आदि, लगा देते हैं जिससे एक तरफ सभी लघु औद्योगिक इकाईयां निविदा में प्रतिभाग नहीं कर पाती हैं तथा दूसरी तरफ क्रेता विभाग को प्रतिस्पर्द्धात्मक दरें नहीं मिल पाती हैं। अतः इस प्रकार की कोई भी टेण्डर शर्तें न लगायी जायं जिससे लघु औद्योगिक इकाईयां पूर्ण रूप से प्रतिस्पर्द्धा से बाहर हो जायं। ऐसी शर्तों का लगाया जाना लघु उद्योगों के प्रति भेदभाव, शासकीय क्रय नीति का उल्लंघन एवं वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आयेगा। यह व्यवस्था उन आयटम पर नहीं लागू होगी जिसके पर्याप्त गुणवत्ता के एकल आपूर्तिकर्ता हों जिनसे क्रय का औचित्य दर्शाते हुए लघु उद्योग विभाग से अनुमति प्राप्त कर ली गयी है।

5. उल्लेखनीय है कि लघु उद्योग अनुभाग-5 के शासनादेश संख्या-2293/18-5-98 -52(एसपी)/98, दिनांक 05-12-1998 तथा शासनादेश संख्या-2119/18-5-2002 -52(एसपी)/98, दिनांक 21-11-2002 द्वारा सामग्री क्रय हेतु उद्योग निदेशालय अथवा एन0एस0आई0सी0 के साथ पंजीकृत लघु औद्योगिक इकाईयों को शासकीय टेण्डरों में अर्नेस्ट मनी जमा करने से छूट प्रदान की गयी है।

6. शासन के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि भारत सरकार/राज्य सरकार की क्रय नीतियों के अनुसार निर्गत शासनादेश दिनॉक 26 मार्च,2004 के अंश, जो उपरोक्त प्रस्तर-4 में उल्लिखित हैं, का तथा उपरोक्त प्रस्तर-5 में उल्लिखित शासनादेशों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। यह स्थिति खेदजनक है। अतः अनुरोध है कि कृपया उपरोक्त प्रस्तर-4 एवं 5 में उल्लिखित शासनादेशों/आदेशों/ निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इन आदेशों का उल्लंघन वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आयेगा तथा इस प्रकार के प्रकरण शासन के संज्ञान में आने पर संबंधित क्रेता विभाग के उत्तरदायी अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही के लिए विवश होना पड़ेगा।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

आलोक रंजन
मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- शासन के समस्त प्रमुख सचिव/सचिव को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया अपने

.....3/-

अधीनस्थ समस्त विभागाध्यक्षों/कार्यालयाध्यक्षों/निगमों/उपक्रमों/परिषदों/प्राधिकरणों /स्वायत्तशासी संस्थाओं को शासनादेश के अनुपालन हेतु सम्यक निर्देश जारी करने का कष्ट करें ।

2- प्रमुख सचिव, सार्वजनिक उद्यम विभाग को इस आशय से प्रेषित कि समस्त निगमों/उपक्रमों को शासनादेश के अनुपालन हेतु निर्देश जारी करने का कष्ट करें।

3- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।

4- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 लघु उद्योग निगम लिमिटेड, कानपुर।

5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

21/5

(विजय कान्त दुबे)
विशेष सचिव।